न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा दावा मु. नं. 54 वर्ष 20[illegible]

दिनांक	आज्ञा-पत्र
7/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] हाजिर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] 7 नियम 11 धारा 151 CPC दिनांक 13/11/25 को पेश हो
13/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उप. वकील की ओर से [illegible] आदेश 7 नियम CPC एवं धारा 151 CPC पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस उक्त आवेदन दिनांक 18/11/25 को पेश हो
18/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली वास्ते बहस उक्त आवेदन दि० 25/11/25 को पेश हो
25/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उप. वकील [illegible] की ओर से [illegible] आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 CPC पेश किया। [illegible] बहस [illegible] के [illegible] आदेश 7 नियम 11 CPC एवं धारा 151 CPC पर [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1/12/25 को पेश हो
01/12/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित [illegible]। समग्र पत्रावली का अवलोकन किया। अतः आवेदन [illegible] प्रतिवादी सं० 01 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.01 14:10:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ाय

ा बनाम

ा नं.

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 CPC को स्वीकार किया जाकर वादी का दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.01 14:10:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 94/2025/दावा

गुलाबराम बनाम नौरंगलाल आदि

आवेदन अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

आदेश

दिनांक– 01.12.2025

वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ''वादी द्वारा वाद–पत्र की मद सं. 1 में विवादित कृषि भूमि का उल्लेख करते हुए वाद–पत्र की मद सं. 4 में वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 की माता छोटी देवी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 के हक में कार्यालय उपपंजीयक, सीकर के समक्ष दिनांक 17.12.2000 को निष्पादित व पंजिकृत करवाये गये समोचन–पत्र को वादी की माता छोटी देवी को बिना बताये पेंशन के कागजों के बहाने अंगूठा निशानी लगवाकर अपने पक्ष में समोचन–पत्र बनवा लिया जाना कथित करते हुए वाद पत्र की मद सं. 13 की उपमद(क) में इस आशय का मुख्य अनुतोष चाहा गया है कि "वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं. 1088/948 रकबा 0.8100 हेक्टेयर के संबंध में दिनांक 17.05.2000 को निष्पादित समोचन–पत्र को अवैध व शून्य घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावे।" वादी द्वारा वाद–पत्र में किये गये उक्त अभिवचनों के आधार पर वाद–पत्र की मद सं. 13(क) में चाहा गया मुख्य अनुतोष माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदत्त किये जाने योग्य है। क्योंकि वादी द्वारा समोचन–पत्र दिनांक 17.05.2000 को अपनी माता को बिना बताये पेंशन के कागजों के बहाने अंगूठा निशानी लगाकर अपने पक्ष में करवा लिया जाना होना कथित किया गया है। जिसका निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकत है और सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही रजिस्टर्ड समोचन–पत्र को अवैध, शून्य घोषित किया जा सकता है। वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में चाहा गया खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाने और अन्य सहायक अनुतोष भी समोचन–पत्र दिनांकित 17.05.2000 पर ही आश्रित है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का न होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है तथा इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। वादी की माता के देहान्त के पश्चात् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कथित किये जा रहे समोचन–पत्र दिनांकित 17.05.2000 के पश्चात् वादी की माता के खाते में रही शेष भूमि के संबंध में विरासत की नामान्तरकरण की कार्यवाही होकर वादी का नाम भी विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ है, जिस पर वादी द्वारा अपने हिस्से परं राजस्थान ग्रामीण बैंक, हर्ष से ऋण भी प्राप्त किया गया है। वादी को सदैव से विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी रही है। जिसके द्वारा गलत रूप से वाद–पत्र की मद सं. 11 में दिनांक 02.06.2025 को वाद कारण उत्पन्न होने का गलत तथ्य अंकित करते हुए प्रस्तुत वाद वेग अभिकथनों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो केवल मात्र न्यायालय व पक्षकारों का समय बर्बाद करने वाला है। इस कारण प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। दावा दायरी के दिन प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमि पर स्वयं वादी द्वारा राजस्थान ग्रामीण बैंक, हर्ष तथा प्रतिवादी सं. 1 नवरंगलाल द्वारा एक्सिस बैंक,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.01 14:10:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

...ढ़ से ऋण प्राप्त किया हुआ है। वादी द्वारा उन बैंको को पक्षकार बनाये बिना पेश किया ..., प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है तथा विधि द्वारा वर्जित है। अतः निवेदन है कि आवेदन–पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जावें।''

आवेदन पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील जवाबदाता/वादी को दिलाई गई। वकील जवाबदाता/वादी ने उक्त का जवाब मदवार विशेष कथन सहित पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया कि ''मद सं. 1 आवेदन पत्र जिस प्रकार तहरीर है, सही होने से स्वीकार है। मद सं. 2 आवेदन पत्र जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। वाद–पत्र की मद सं. 13(क) में चाहा गया अनुतोष माननीय न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है क्योंकि कानूनन समोचन–पत्र सभी वारिसान के पक्ष में निष्पादित किया जाता है, एक अकेले वारिस के पक्ष में निष्पादित नहीं किया जा सकता है। परन्तु वाद में समोचन–पत्र अकेले प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित किया है, जो एक शून्य दस्तावेज है, जिसे शून्य घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है और बाद में सहायता भी समोचन–पत्र को अवैद्य व शून्य घोषित करने की चाही गयी है। इसलिये प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार है। मद सं. 3 आवेदन–पत्र जिस प्रकार तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। समोचन–पत्र दिनांकित 17.05.2000 के पश्चात् शेष भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज होना और उस पर ऋण लेने का कथन सही है। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 ने समोचन में प्राप्त भूमि की खातेदारी बराबर–बराबर करवाने हेतु सहमत था। लेकिन दिनांक 02.06.2025 को खातेदारी वादी के नाम दर्ज करवाने से इंकार होने से वाद कारण पैदा हुआ, जो मद सं. 11 में स्पष्ट अंकित है। इसलिये आवेदन आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। मद सं. 4 आवेदन जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, बैंक को पक्षकार नहीं बनाने के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। विशेष कथन– प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उठायी गयी आपत्ति प्रतिवादी सं. 1 अपने जवाब दावे में उठा सकता है और उसके संबंध में तनकियात बनाकर साक्ष्य के बाद ही निर्णय किया जा सकता है। आवेदन में प्रतिवादी सं. 1 ने कहीं भी यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि विधि के किस अधिनियम के तहत चलने योग्य नहीं है, केवल कयासात के आधार पर गलत तथ्य अंकित कर आवेदन प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। समोचन–पत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को है और वादी ने अपने वाद–पत्र में समोचन पत्र को शून्य घोषित करने की सहायता चाही है। इसलिए यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जावें।''

बहस उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा पेश किया गया प्रस्तुत वाद वर्णित समोचन पत्र को शून्य घोषित करवाकर खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम से 1/3 – 1/3 दर्ज करवाने बाबत पेश किया है, जिसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को होने, वादी को वादकारण प्रर्याप्त न होने तथा आवश्यक पक्षकार बैंक को नहीं बनाये जाने के कारण से बिना किसी प्रर्याप्त आधार के पेश किया गया है। अतः आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 का आवेदन स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने आवेदन व कथनों के समर्थन में आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से ... दृष्टांत– 2021(1) आरआरटी 451 पेश किया गया। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/वादी ने बहस के दौरान अपने दावें में दर्ज मुख्य तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया वादी द्वारा प्रस्तुत दावा विधिनुसार पेश किया गया है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त होने से वादी का वाद उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.01 14:10:17 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ... जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
... जिला–सीकर

Scanned with OKEN Scanner

रण के होने पर पेश किया गया है। अतः वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 का आवेदन विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जावें। अपने आवेदन के समर्थन में जवाबदाता/वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत– 2014(1) आरआरटी 509, 2006(1) डीएनजे(राज.) 88, 2024(1) आरआरटी 58, एआईआर 2003 पेज 498 (डी) पेश किये।

हमने उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद वादी द्वारा उद्घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत पेश किया गया है। हस्तगत वाद में उक्त आराजियात के संबंध में दिनांक 17.05.2000 को निष्पादित समोचन पत्र को अवैद्य व शून्य घोषित करवाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के प्रत्येक के 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित कर विभाजन का मुख्य अनुतोष चाहा है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा दावें में आवेदन अ. 7 नियम 11 एवं 151 सीपीसी पेश कर मुख्यतः यह आक्षेप उठाये है कि प्रकरण दावा में वादी ने जिस समोचन पत्र को अवैद्य व शून्य घोषित करवाकर उद्घोषणा चाही है, उसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को होने से तथा दावा प्रर्याप्त वादकारण के बिना पेश किये जाने से विधिसम्मत नहीं होने पर दावा खारिज करने का निवेदन किया है। प्रकरण में वादी के द्वारा एक उक्त वर्णित समोचन पत्र को, जो कि वादी की माता के द्वारा निष्पादित किया गया है, को अवैद्य व शून्य घोषित करवाकर अपने पक्ष में उद्घोषणा चाही है। लेकिन साथ ही प्रकरण दावा में यह भी उल्लेख किया गया है कि वादकारण उक्त राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होते ही हस्तगत दावा पेश किया गया है, जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अवलोकन से संबंधित बैंक के यहां रहन होने बाबत तथ्यों के सामने आने से इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि प्रकरण में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी वादी को नहीं रही हो। रही बात प्रकरण दावा के वादी के मुख्य अनुतोष की तो, उस संबंध में वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा न्यायालय हाजा के ध्यान में लाये गये व उनके द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत– 2021(1) आरआरटी 451 का गहनता से अवलोकन के बाद यह तथ्य सामने आये है कि हस्तगत दावा में वादी के द्वारा चाहे गये मुख्य अनुतोष को राजस्व न्यायालय हाजा के द्वारा निर्धारित व निस्तारित नहीं किया जाकर सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही तय किया जाना होता है। परन्तु वादी द्वारा हस्तगत वाद न्यायालय हाजा में पेश किया गया है, जो कि इस स्तर पर विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। हालांकि अपने वाद तथा कथनों के समर्थन में वादी के द्वारा जो, न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये है, उनका भी गहनता से अवलोकन किया गया, लेकिन वे सभी हस्तगत वाद की प्रकृति व अनुतोष के पक्ष में चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार से वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला सुदृढ नहीं है। अतः वादी का वाद विधि वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 का आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादी का दावा इसी स्तर खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हों। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.01 14:10:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 94/2025/दावा

गुलाबराम पुत्र बिड़दाराम उर्फ बिडदूराम जाति जाट निवासी ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— वादी

बनाम

01. नेरंगलाल पुत्र बिडदूराम
02. मंगलाराम पुत्र बिडदूराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दुजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
03. उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
04. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

आवेदनकर्ता/प्रतिवादी सं. 1 का आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह आज दिनांक 01.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.12.01 14:10:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner